न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-43/2021/बिजोलिया

नन्दलाल पुत्र डूंगा धाकड़ निवासी केशरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

................अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

................रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 25.03.2021 जो प्रकरण संख्या 148/2020 बउनवानी सरकार बनाम नन्दलाल में पारित किया गया।

....

उपस्थित अभि0:-श्री अभिषेक छाबड़ा(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक (राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांक:-13.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को ग्राम जाड़ोली तहसील बिजोलियां जिला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 869/51 रकबा 3 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने पर तहसीलदार बिजोलियां द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है तथा न ही उसका कब्जाकाश्त है। इस पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 148/2020 दर्ज कर दिनांक 25.03.2021 को आवंटन शर्तों की पालना न करने एवं कब्जाकाश्त न करने के कारण आवंटी अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया तथा विवादित भूमि को कब्जे में लेकर राजस्व रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश जारी किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के इस निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है-

1. विवादित भूमि दिनांक 29.11.1989 को उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के द्वारा भूमि आवंटित की गई थी तब से अपीलांट का उक्त भूमि पर 32 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है।

2. निर्णय सरसरी तौर पर पारित किया गया है।

3. अपीलांट का मुख्य धंधा कृषि व मजदूरी है तथा कब्जे बाबत रिपोर्ट सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में दोनो पक्षो की उपस्थिति में बनायी जानी आवश्यक है।

4. आवंटन के पश्चात खातेदारी दर्ज करने का दायित्व तहसीलदार का होता है। जो भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 में बताया गया है। अतः अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 25.03.2021 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। स्थगन प्रार्थन पत्र के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेट उसे बेदखल करने पर आमादा है। इससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.03.2021 की पालना स्थगित रखते हुए मौके एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम में प्रार्थी के अनुसार वह स्वयं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था इसलिए अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। देरी को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मियाद माना जायें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। कोरोनाकाल के दोरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा मियाद अवधि बाबत निर्देश जारी किये गये थे। प्रार्थी ने स्वयं को भी कोरोना पीड़ित होना बताया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। निर्णय एकपक्षीय है तथा अपील बिन्दुओं को दोहराते हुए अपील को निरस्त करने के लिए निवेदन किया है। राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि निर्णय विधि अनुसार है। अपीलांट द्वारा खातेदारी लेने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। अपील खारिज की जायें।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलांट नन्दलाल पिता डूंगा जाति धाकड़ निवासी केशरपुरा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा को पटवार हल्का सलावटिया के ग्राम जाड़ोली की आराजी नम्बर 869/51 रकबा 3 बीघा भूमि किश्म बंजड़ दिनांक 27.07.1989 को मिसल नम्बर 2329/89 से आवंटन कमिटी द्वारा आवंटन की गई है। आवंटी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लघंना की है तथा आवंटी द्वारा मौके पर कभी भी काश्त नहीं की है। मौका पर्चा साथ संलग्न है। अतः आवंटी के पक्ष मे किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मौका पर्चा द्वारा पटवारी सलावटिया दिनांक 16.09.2019 ग्राम जाड़ोली संलग्न है। जिसके अनुसार अपीलांट गैर खातेदारी के रूप में खाता संख्या 266 में दर्ज रिकोर्ड है। मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है। पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाकर उपस्थिति को सुनाया गया और उनके अंगूठा निशानी ली गई। उक्त के बाद मौका पर्चा पर पटवारी सलावटिया दिनांक 16.09.2019 अंकित है तथा उसके हस्ताक्षर है। मौकापर्चा पर के नीचे की ओर लक्ष्मीनारायण, मोहन, शिवलाल और शांतिलाल वैष्णव अंकित है। भूमि आवंटन का आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा जारी किया गया है। जिसके बिन्दु संख्या 7 में आवंटन की शर्त लिखी गई है। बिन्दु संख्या 7 के उपबिन्दु 3 में यह दर्ज है। आवंटिति का आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत में दूसरे वर्ष अनिवार्य भूमि काश्त करनी होगी। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के रीडर द्वारा दिनांक 10.10.2019 को अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें दिनांक 25 जनवरी को उसे उपस्थित होने बाबत कहा गया था। उक्त नोटिस के पुश्त भाग पर नन्दलाल अंकित है तहसीलदार बिजोलिया कि रिपोर्ट के अनुसार नोटिस बाद तामील पेश है अंकित किया हुआ है। न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 10.10.2019 से 25.03.2019 का अवलोकन किया गया। प्रथमतः उक्त प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया था। जिसमें दिनांक 25.03.2019 को अपीलांट के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा को हस्तानांतरित हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा नियम 18(1) का हवाला दिया गया है। जिसके अनुसार तीन वर्ष के बाद यदि आवंटी शर्तों की पालना करता है तो उसे स्वयं तहसीलदार द्वारा खातेदारी दी जानी चाहिए। साथ ही इस बिन्दु पर 18(4) भी रोशनी डाली जिसमें उन्होने यह कहा कि दिनांक 29.09.1999 से पूर्व यदि किसी आवंटी को भूमि आवंटन किया गया है और उसके द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत और दूसरे वर्ष मे सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नही करता है तो उसका आवंटन निरस्त नही करके उसे खातेदारी दी जायेगी। यदि अंतिम तीन वर्ष में उसके द्वारा काश्त की जाती रही हो तथा आवंटन की अन्य शर्तों का पालन किया हों। अपीलांट द्वारा अपने काश्त बाबत कोई दस्तावेज यथा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। ना ही उसे कभी प्राकृतिक आपदा के सन्दर्भ में यदि कोई मुआवजा मिला हो तो उस बाबत सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। पटवारी मौका पर्चा ग्राम जाड़ोली स्वतंत्र पक्षकारो की उपस्थिति में तैयार किया गया है। ऐसा मौका पर्चा के अवलोकन से स्पष्ट होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, यह कहना गलत है। मौकापर्चा भी स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया है। अपीलांट को चाहिए था कि अपने काश्त बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करता मगर उसके द्वारा अपने प्रकरण की समुचित प्रतिरक्षा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों के अभाव में अपीलांट को कोई लाभ दिया जाना संभव नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है। अपील द्वारा अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 148/2020 अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 25.03.2021 उनवानी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजोलियां बनाम नन्दलाल पुत्र डूंगा धाकड़ को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:08 IST
Reason: SelfAttested